यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तरखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी** के माह 03/2013 से 12/2016 तक के लेखा अभिलोखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार तथा श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.01.2017 से 31.01.2017 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखपारीक्षा श्री राकेश कुमार तथा श्री विनीत निगम सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25/04/2013 से 10/05/2013 तक श्री डी0के0 पिपलानी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा संपादित किया गया था जिसमें माह 02/2012 से 03/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी का मुख्य कार्यकलाप जनरल लेखा बजट आवंटन होता है।

   (ब) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त पौड़ी जनपद है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+) ₹**	**बचत (-) ₹ (समर्पण)**
	स्थापना ₹	**गैर स्थापना ₹**	**आबंटन ₹**	**व्यय ₹**	**आबंटन ₹**	**व्यय ₹**		
2013-14	0	0	340.73	304.30	705.97	701.34		41.06
2014-15	0	0	387.01	326.37	2758.91	2592.75		226.80
2015-16	0	0	386.23	306.55	1378.10	1355.00		102.78
2016-17 (Up to Dec 2016)	0	0	377.23	263.24	693.13	360.29		-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)
2013-14	ए.एन.एम.टी.सी.	शून्य	12.55	11.42		1.13
	प.क. ब्यूरो	शून्य	31.95	30.27		1.68
2014-15	ए.एन.एम.टी.सी.	शून्य	27.92	10.73		17.19
	प.क. ब्यूरो	शून्य	39.12	35.38		3.74
2015-16	ए.एन.एम.टी.सी.	शून्य	27.15	21.59		5.56
	प.क. ब्यूरो	शून्य	39.53	38.09		1.44
2016-17(Up to Dec 2016)	ए.एन.एम.टी.सी.	शून्य	31.93	25.32		6.61
	प.क. ब्यूरो	शून्य	41.51	26.31		15.20

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड से प्राप्त होते है। विभाग के संगठात्मक ढांचे की स्थिति संलग्न है।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में मुक्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2014 एवं 09/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गा। जिला योजना एवं राज्य योजना के मरम्मत कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-तीन

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो प्रस्तर संख्या	भाग-दो प्रस्तर संख्या	STAN
157/2008-09	1,2,3	3	--
15/2010-11	1,2,3,4	--	--
71/2011-12	1	1,2,3,4	--
119/2013-14	-	1,2	--

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-तीन के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ सूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आक्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-तीन में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-तीन में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिसातारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अप्रस्तुत				

भाग-चार

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 1 :- <u>अनुपयोगी व्यय रुपए 480.59 लाख तथा उद्देश्यों की पूर्ति का अप्राप्त रहना</u>

असम्यक योजना एवं विभागीय उदासीनता के कारण राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्दार मे ट्रामा सेन्टर एवं डाईग्नोसिस सेन्टर के निर्माण कार्य पर किया गया अनुपयोगी व्यय रुपए 480.59 लाख तथा अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति का अप्राप्त रहना

चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12वी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्गो पर ट्रामा सेन्टर के निर्माण हेतु 160 जनपदों का चयन किया गया था जिसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय राज मार्गो पर दुर्घटना होने की स्थिति मे पीड़ित को तत्काल स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना था, इसी क्रम मे उत्तराखंड शासन के शासनादेश के द्वारा जनपद पौड़ी गड़वाल के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्दार मे ट्रामा सेन्टर एवं डाईग्नोसिस सेन्टर के भवन निर्माण हेतु गठित विस्तृत प्राक्कलन के सापेक्ष टीएसी द्वारा परीक्षणोंप्रांत संस्तुत धनराशि रुपए 480.59 लाख (रूपये 447.25 लाख + उत्तराखण्ड अधिपरपति के अन्तर्गत रूपये 33.34 लाख) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपए 50.00 लाख की धनराशि प्रथम किस्त के रूप मे अवमुक्त किया गया था।

उक्त कार्य के निष्पादन हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड कार्यदायी संस्था को नामित किया गया था और दिनांक 05.12.2013 को कार्यदायी संस्था और विभाग के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था जिसके अनुसार धनराशि प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण करने की अवधि 24 माह निर्धारित थी ।

मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी के निर्माण कार्य से संबन्धित लेखा अभिलेखों के नमूना जांच (जनवरी 2017) मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रश्नगत निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु रुपए 50.00 लाख दिसम्बर 2013 मे, द्वितीय किस्त रुपए 250.00 लाख की धनराशि दिनांक 14.02.2014 द्वारा अवमुक्त किया गया तथा तृतीय व अंतिम किस्त रूपये 180.59 की धनराशि दिनांक 10.10.2014 द्वारा अवमुक्त किया गया था। इस प्रकार कुल स्वीकृत राशि रुपए 480.59 लाख की धनराशि यथा समय कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दिया गया था, तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या जुलाई 2015 के अनुसार ट्रामा सेन्टर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था, मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी कार्यालय द्वारा निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखों एवं पत्रावली का रखरखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा था जिस कारण भवन हस्तगत कराये जाने कि तिथि तथा अन्य प्रगति की स्थिति असपष्ट थी ।

जांच मे पाया गया कि ट्रामा सेन्टर हेतु न तो कोई पद सृजित किया गया था और न ही किसी चिकित्सक व अन्य स्टाफ की तैनाती की गयी थी, और न ही ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु

आवश्यक उपकरण आदि स्थापित किया गया था, परिणाम स्वरूप रूपये 480.59 लाख की लागत से निर्मित ट्रामा सेन्टर चिकित्सको एवं संबन्धित स्टाफ की तैनाती तथा आवश्यक उपकरण एवं संयंत्र के आभाव मे संप्रेक्षा तिथि (जनवरी 2017) तक अनुपयोगी पड़ा हुआ था । इस संबंध मे विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह कि जनपद पौड़ी राष्ट्रीय राज मार्ग 534 कोटद्दार से प्रारम्भ होकर धारी देवी तक जाता है जिसकी लम्बाई लगभग 155 किमी है अतएव कोटद्दार मे ट्रामा सेन्टर के निर्माण का निर्णय ही अनुचित था क्यौंकि कोटद्दार मे पूर्व से ही संयुक्त चिकित्सालय विद्दमान था जहां समस्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं, तथा कोटद्दार से पौड़ी के मध्य की दूरी 108 किमी जिस पर ट्रामा सेन्टर जैसी स्तरीय चिकित्सा सेवा का आभाव है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि असम्यक योजना एवं विभागीय उदासीनता के कारण ट्रामा सेन्टर के निर्माण कार्य पर किया गया व्यय रुपए 480.59 लाख न केवल अनुपयोगी रहा अपितु ट्रामा सेन्टर के निर्माण के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी और उससे होने वाले लाभ से जनता वंचित थी ।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आकणों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि ट्रामा सेन्टर के लिए अभी तक उपकरण व संयंत्र क्रय नहीं किया गया और न ही इसके संचालन हेतु पदों के भरे जाने का कार्य भी अभी तक कार्यवाही नहीं की गयी है। धनराशि रुपए 33.34 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था के द्वारा व्यय किया जाना है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा ट्रामा सेन्टर का निर्माण कार्य तो कर दिया गया लेकिन इसके संचालन के लिए न तो कोई पद सृजित किया गया था और न ही किसी चिकित्सक व अन्य स्टाफ की तैनाती की गयी थी, और न ही ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु आवशयक उपकरण आदि स्थापित किया गया था, परिणाम स्वरूप रूपये 480.59 लाख की लागत से निर्मित ट्रामा सेन्टर चिकित्सको एवं संबन्धित स्टाफ की तैनाती तथा आवश्यक उपकरण एवं संयंत्र के आभाव मे अनुपयोगी पड़ा हुआ था।

अतः विभाग कि असम्यक योजना एवं विभागीय उदासीनता के कारण ट्रामा सेन्टर के निर्माण कार्य पर किया गया व्यय रुपए 480.59 लाख न केवल अनुपयोगी रहा अपितु ट्रामा सेन्टर के निर्माण के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 2 :- भारत सरकार की योजना NPCDCS की धनराशि रु 20.05 लाख को अवरुद्ध रखे जाने से विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के आभाव मे अंतर्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति न होना।

National programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke (NPCDCS) भारत सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि Non-Communicable बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण विशेषकर कैंसर, मधुमेह, CVDs और Stroke तथा इनका प्रारम्भिक एवं द्वितीय चरण की अवस्था में पता लगा करके उपचार कर इन बीमारियों का निदान किया जा सके। भारत में वर्ष 2008 में अनुमानित 5.3 मिलियन कि मृत्यु NCDs के कारण हो चुकी है। इसके प्रचार प्रसार हेतु CHC/ PHC/ सब सेंटर स्तर तक किया जाना था तथा इसकी रोकथाम हेतु CHC/ PHC/ सब सेंटर स्तर तक glucometer किट और ब्लड प्रेशर नापने की मशीन प्रदान की जानी थी।

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी के (NPCDCS) लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में सरकार द्वारा धनराशि रुपए 8872211/- प्राप्त हुई थी इस धनराशि पर ब्याज की धनराशि रुपए 245930/- अर्जित किए गए। लेकिन विभाग ने उक्त योजना में माह मार्च 2016 तक धनराशि रुपए 102786/- व्यय किया गया तथा माह 06/2016 में धनराशि रुपए 17,97,000/- एव माह 12/2016 रुपए 52,13,719/- (1797000+5213719=7010719) विभाग द्वारा कुल धनराशि रुपए 70,10,719/- के अनुपयोगी रहने के कारण शासन को वापस कर दिया गया इस प्रकार कुल राशि रुपए 20,04,636/- व्यय किया जाना अभी तक शेष था।

उक्त बीमारियों की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा प्रारम्भिक एवं द्वितीय चरण की अवस्था में पता लगाया जाने के लिए CHC/ PHC/ सब सेंटर स्तर तक प्रचार प्रसार नहीं किया गया। साथ ही रोगियों का उपचार कर इन बीमारियों का निदान किए जाने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। उसके विरुद्ध धनराशि रुपए 70,10,719/- शासन को वापस कर दिया गया था। उक्त धनराशि वापस किए जाने के पश्चात भी विभाग ने योजना की धनराशि रुपए 20.05 लाख, दो से अधिक वर्षों से अवरुद्ध रखने से इस योजना का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया तथा आम जनता को इस योजना से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित रखा गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा संचालित योजना का विभाग द्वारा न केवल सूचारू रूप से संचालन नहीं किया गया अपितु उक्त धनराशि दो से अधिक वर्षों से अप्रयुक्त रखा गया जिससे भारत सरकार द्वारा संचालित योजना का के उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी ।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि विभाग को 06-10-2015 को धनराशि रुपए 8872211/- प्राप्त हुये थे। उक्त धनराशि में से 102786/- वेतन मद में व्यय किए गए हैं तथा उक्त योजना वर्तमान में चल रही है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग का उत्तर तथ्यों से अलग ही था विभाग ने अवगत कराया कि उसको धनराशि 06-10-2015 को प्राप्त हुई थी लेकिन विभाग के तुलन पत्र वर्ष 2014-15 के अनुसार उक्त धनराशि इसी वर्ष में प्राप्त हो गयी थी। विभाग द्वारा रोगियों का उपचार निदान किए जाने का न कोई सार्थक प्रयास किया गया अपितु उसके विरुद्ध वर्ष 2016-17 में धनराशि रुपए 70,10,719/- शासन को वापस कर दिया गया था। धनराशि रुपए 7010719/- के अनुपयोगी रहने के कारण शासन को वापस किया जाना यह प्रदर्शित करता है कि योजना चालू नहीं थी एवं इसमें केवल वेतन मद में ही धनराशि का व्यय किया जा रहा था। इसकी रोकथाम हेतु CHC/ PHC/ सब सेंटर स्तर तक glucometer किट और ब्लड प्रेशर नापने की मशीन प्रदान उपलब्ध नहीं कराई गयी और न इस योजना का प्रचार प्रसार किए जाने का प्रयास किया गया जिससे स्पष्ट था कि भारत सरकार की योजना NPCDCS के मुख्य उद्देश्यों कि पूर्ति नहीं की जा रही थी।

अतः भारत सरकार की योजना NPCDCS की धनराशि रु 20.05 लाख को अवरुद्ध रखे जाने से विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के आभाव मे अंतर्निहित उद्देश्यों की प्राप्ति न होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-पाँच

आभार

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गएः

- अनुपालन आख्या
- दूगड़ा एवं डाडामण्डी पी.एच.सी. के एन.आर.एच.एम. से सम्बन्धित अभिलेख
- सतत् अनियमितताएः
- शून्य

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा0 अरूण कुमार सिंह	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	07/01/2012 से 31/01/2015 तक
2	डा0 मनीष अग्रवाल	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	31/01/2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.